न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारी :—सुभाषचन्द्र आर.ए.एस.

79/2016
ोएमएस : 2016/00419

मनीराम बनाम देवीलाल
अन्तर्गत धारा 53—88—92ए—188 आरटीएक्ट
एवं
देवीलाल बनाम मनीराम आदि
धारा 251 क आरटीएक्ट

स्थिति :—
ी अजय तनेजा वकील प्रार्थी (प्रति सं. 1 अधि.)
ी कृष्णलाल लदोईया वकील अप्रार्थी (वादी अधि.)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 सीपीसी

—: निर्णय प्रार्थनापत्र :—

दिनांक : 29.08.2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि वादी ने चक 26 पीएस बी के मुरब्बा नं. 50 के कि.नं. 11,12,16,17 में अपने खातेदारी का अधिकार घोषित करवाने के लिये एक वाद पेश किया है और इसी आशय का अनुतोष अपने वाद में मांगा है तथा अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा अनुतोष में चाही हैं। इन खातेदारी अधिकारों की घोषणा वह ईकरारनामा दिनांक 21.06.2000 के आधार पर करवाना चाहता है। जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में खातेदारी अधिकारों की घोषणा किसी ईकरारनामां के आधार पर नहीं की जा सकती ईकरारनामा के आधार पर यदि किसी प्रकार की घोषणा करवायी जानी है तो इसका क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को है न कि श्रीमान् जी के न्यायालय को है। इसलिये ईकरारनामां के आधार पर सिविल न्यायालय को सुनने का अधिकार है राज. काश्तकारी अधि. में ईकरानामां के आधार पर कोई घोषणा खातेदारों के संबंध में नहीं की जा सकती इसलिये वादी का वाद विधि वर्जित है। अतः वादी का वाद विधि वर्जित होने के कारण खारिज किये जाने का आदेश प्रदान करे ।

2. अप्रार्थी (वादी) द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रति. सं. 1 द्वारा प्रार्थना पत्र की मद सं. 2 में अभिकथित ईकरारनामा दिनांक 21.06.2000 के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाये जाने के कथन गलत किया है। वादी ने अपने वादपत्र में तथाकथित ईकरारनामा दिनांक 21.06.2000 के बाद, वाद पत्र की मद सं. 5 में वर्णित अनुसार पारिवारिक सैटलमेंट के दौरान सहबन से विवादित भूमि मु.नं. 50 के कि.नं. 11—12—16 व 17 वादी व प्रतिवादी सं. 1 के नाम से संयुक्त रूप से दर्ज राजस्व रिकार्ड है कब्जा भूमि का वादी के पास होने के कारण उसी अनुसार विभाजन व खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाये जाने का अनुतोष चाहा है जो केवल राजस्व न्यायालय द्वारा ही दिया जा सकता है। इसके अलावा तथाकथित ईकरारनामा दिनांक 21.06.2000 में वर्णित भूमियों में से कि.नं. 13 का पारिवारिक सैटलमेट अनुसार वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो चुका हैं। वादी के वाद पत्र के अभिकथनों से मुतालिबा अनुतोष स्पष्ट है। प्रतिवादी सं. 1 ने अपने प्रार्थना पत्र में यह स्पष्ट नहीं किया है कि वादी का वाद पत्र किस प्रकार से बार्ड बाई लॉ है। प्रतिवादी ने उक्त प्रार्थना पत्र ... उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। इसलिये प्रार्थना पत्र ... में ही खारिज किये जाने योग्य हैं ईकरारनामा की पालना करवाये जाने अथवा ईकरारनामा अनुसार खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाये जाने का अनुतोष नहीं चाहा गया है और ना

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.09.12 16:38:18 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner

ऐसा कोई अभिवचन ही किया गया है। ईकरारनामा दिनांक 21.06.2000 में वर्णित मे में से कि.नं. 13 वादी के एकल खाता में व कि.नं. 11, 12, 16, 17 की भूमि दी व प्रतिवादी सं. 1 के नाम संयुक्त रूप से दर्ज राजस्व हो चुकी है तथा वादी रा प्रतिवादी सं. 1 को मु.नं.द 50 के कि.नं. 11–12–16 व 17 में प्रतिवादी के /2 हिस्सा की 0.506 है. भूमि के बदले सन् 2000–2001 में अपने मु.नं. 29 के कि.नं. 19 व 20 की 0.506 है. भूमि पारिवारिक बंटवारा में दे दी है तथा उसी रोज से उक्त अनुसार ही पक्षकारान का कब्जा चला आ रहा है इसलिए कानूनी दृष्टि से वादी अपने अधिकारों की घोषणा कराने का मुस्तहक है तथा इस प्रकार के दावे सुनने व चाहा गया अनुतोष दिये जाने का क्षेत्राधिकार केवल राजस्व न्यायालयों को ही है सिविल न्यायालय को नहीं। व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 का कोई भी प्रावधान प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र पर लागू नहीं होता है क्योंकि वाद किसी भी रूप में विधि द्वारा वर्जित नहीं है इसलिए प्रारम्भिक स्तर पर ही प्रार्थना आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 सीपीसी खारिज फरमाया जाने योग्य है अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश करके निवेदन है कि प्रार्थी/ प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा पेश प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 सीपीसी मय हर्जा खर्चा के खारिज फरमाया जावे।

बहस पक्षकारान के अधिवक्तागण की सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि वादी वाद–पत्र में खातेदारी अधिकारों की घोषणा ईकरारनामा दिनांक 21.06.2000 के आधार पर करवाना चाहता है जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में खातेदारी अधिकारों की घोषणा ईकरारनामा के आधार पर नहीं की जा सकती है इसका क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को है न कि राजस्व न्यायालय को हैं। इसलिये वादी का वाद विधि वर्जित है प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादी का वाद पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जावे। अप्रार्थी/वादी ने कथन किया है कि ईकरारनामा दिनांक 21.06.2000 में वर्णित भूमि में से कि.नं. 13 वादी के एकल खाता में व कि.नं. 11–12–16 व 17 की भूमि वादी व प्रतिवादी सं. 1 के नाम संयुक्त रूप से दर्ज राजस्व रिकार्ड हो चुकी है प्रतिवादी संख्या 1 को मु.नं. 20 के कि.नं. 11–12–16 व 17 में प्रतिवादी के 1/2 हिस्सा की 0.506 है. भूमि पारिवारिक बंटवारा में दे दी है। उसी रोज से उक्त अनुसार ही पक्षकारान का कब्जा चला आ रहा है। इस प्रकार के दावे सुनने व चाहा गया अनुतोष दिये जाने का क्षेत्राधिकार केवल राजस्व न्यायालयों को ही है सिविल न्यायालय को नही। अतः व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 का कोई भी प्रावधान प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र लागू नहीं होता है वाद किसी भी रूप में विधि द्वारा वर्जित नहीं है इसलिए प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 सीपीसी प्रार्थी/प्रतिवादी का मय खर्चा खारिज किया जावे।

4. वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार "उस प्रक्रिया का जो वादों के विषय में इस संहिता में उपबन्धित है, सिविल अधिकारिता वाले किसी भी न्यायालय में की सभी कार्यवाहीयों में वहां तक अनुसरण किया जायेगा जहां तक वह लागू की जा सके" ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का यह कथन कि आ. 7 नि. 11 सीपीसी के प्रावधान प्रार्थना–पत्रों पर लागू होते है मान्य है। आदेश 7 [illegible] सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार 6 आधारों पर ही वादपत्र/प्रार्थना पत्र ना मंजूर किया [illegible] ता है। (1) जहां वह वाद हेतूक प्रकट नहीं करता है (2) जहां [illegible] अनु[illegible] का मूल्यांकन कम किया गया है। (3) जहां दावाकृत [illegible] का मूल्यांक[illegible] है, किंतु वाद पत्र अप्रर्याप्त स्टाम्प–पत्र पर लिया गया है (4) [illegible] कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है (5) [illegible] दो प्रतियों में फाईल नहीं किया जाता है। (6) जहां वादी नियम 9 के प[illegible]कों का पालन करने में असफल रहता है। उक्त आधारों के तहत वाद पत्र को नामंजूर कर दिया जायेगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.09.12 16:38:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

वाद पत्र में ईकरारनामा 21.06.2000 में वर्णित भूमि व कब्जा के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाना चाहता है ईकरारनामा के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है अतः उक्त वाद पत्र में अभिव्यक्त कथनों से प्रतीत होता है कि वाद पत्र विधि द्वारा वर्जित है अतः उक्त वाद पत्र पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर अप्रार्थी/प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित है।

—:आदेश:—

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी (प्रतिवादी स. 1 के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र अर्न्तगत आदेश 7 नियम 11 व 151 सीपीसी को स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी (वादी) के द्वारा प्रस्तुत वाद—पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

(सुभाषचन्द्र)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 29.08.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुभाषचन्द्र)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.09.12 16:38:18 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner